न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 35 / 2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हंजाराम उर्फ हंजीया पुत्र हकमारामजी, जाति मेघवाल,निवासी वालेरा, तहसील सायला, जिला जालोर(राज.)		1.जोधाराम पुत्र हकमाजी 2.भानाराम पुत्र हकमाजी 3.मीठाराम पुत्र तगारामजी 4.समाराम पुत्र तगारामजी 5.जैरूपाराम पुत्र हकमाजी(फौत) के कायम मुकाम :– 5 / 1.हिमताराम पुत्र जैरूपारामजी 5 / 2.राजाराम पुत्र जैरूपारामजी जातियान् मेघवाल, निवासीगण वालेरा, तहसील सायला, जिला जालोर(राजस्थान) 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सायला, जिला जालोर (राजस्थान) ,7.स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सायला जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सायला, तहसील सायला, जिला जालोर(राजस्थान) 8.जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा सायला जरिये शाखा प्रबंधक, हाल–शाखा जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध बंटवाडा आदेश तहसीलदार सायला ,दिनांक 13.10.2001
((क्रमांकःप्र.गा.सं. / 2001 / स्पे.6)

उपस्थिति :–

1.श्री प्रवीणकुमार भादरू, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री नैनसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.5 / 2की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह ,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 उपस्थित।
4.रेस्पोडेन्ट सं.1, 2से 4, 5 / 1, 7,8 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 18.2.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व प्रतिउत्तरदाता सं.1से 6 की संयुक्त खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम वालेरा के खसरा नम्बर 1255,1289,1290,1291,1292,1293,1277/1599,1255/1658, व 1691/1289 कुल रकबा 15.15 हेक्टर के रूप में आई हुई है, तहसीलदार सायला ने अपीलार्थी व प्रतिउत्तरदाता की आराजी के लिए पारित विभाजन आदेश दिनांक 30.10.2001 के विरूद्ध अपील पेश की है, अपीलार्थी ने अपने हिस्से के विभाजन के लिए प्रतिउत्तरदाता से कोई समझौता नही किया और न ही विभाजन आदेश में वर्णित आराजी व उसके लगान का सभी खातेदारों में विभाजन हुआ।प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुतीकरण की टिप्पणी के रूप में कोई इन्द्राज नही है,मात्र यह नोट अंकित हैं कि पटवारी हल्का जांच कर रिपोर्ट करे,राजस्व विधि में प्रावधान हैं कि खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडे में सभी खातेदारों के हिस्से के लिए रास्ते का प्रावधान नहीं करने की दशा में तहसीलदार को आपसी सहमति से बंटवाडे को स्वीकार नहीं करना चाहिए।अपील में प्रश्नगत आदेश में खातेदारों का हिस्सा बराबर न होने व उसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने के कारण आराजी एक ही प्रकार की होने के बावजूद खातेदारों द्वारा अपना हिस्सा कम ज्यादा रखने का तथ्य होने के बावजूद प्रकरण मे सही जांच नही की है। तहसीलदार सायला द्वारा बंटवाडा आदेश की प्रति खातेदारों को नही दी गई है। आदेश पारित करते समय तहसीलदार सायला ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलांट को दिनांक 23.8.18 को अपना खाता ऑन लाईन जमाबंदी देखने पर अलग अलग खाते की जानकारी हुई, नकलो हेतु आवेदन करने पर नकले प्राप्त होने पर अपील पेश की है, अपील में देरी के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है, अतः तहसीलदार सायला का आदेश दिनांक 30/10/2001 को अपास्त करावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश की नकले आदि पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि ग्राम वालेरा के खसरा नम्बर 1255,1289,1290,1291,1292,1293, 1277/1599, 1255/1658, व 1691/1289 कुल रकबा 15.15 हेक्टर के रूप में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त रूप से खातेदारी की आई हुई है,अपीलार्थी ने अपने हिस्से के विभाजन के लिए प्रतिउत्तरदाता के साथ कोई समझौता नही किया, न ही

लगान का सभी खातेदारों में विभाजन हुआ। खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडे में सभी खातेदारों के हिस्से के लिए रास्ते का प्रावधान नही है, खातेदारों का हिस्सा बराबर नही है, अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार सायला का बंटवाडा आदेश दिनांक30/10/2001 को अपास्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 5/2 के वकील ने बहस में बताया कि बंटवाडा का सहमति पत्र दिनांक 30.10.2001 में अपीलांट हंजीया का अंगुष्ठ निशान है,अतः बंटवाडा आदेश आपसी सहमति से सही पारित किया है।अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन पत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दिनांक 30.10.2001 को प्रभारी अधिकारी,प्रशासन गांवो के संग अभियान'2001 में वालेरा में प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी सहकाश्तकारों की सहमति थी उक्त विभाजन पत्र का तहसीलदार सायला ने अपने आदेश क्रमांक /प्र.गा.सं./2001/स्पे.6 दिनांक 30.10.2001 को तस्दीक किया तथा रेकर्ड में अमल दरामद का आदेश दिया।

उक्त विभाजन आदेश की अपील दिनांक 28.8.2018 को लगभग 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी । विभाजन में रास्ता का प्रावधान भी किया गया हैं तथा भूमि की किस्म की दृष्टि से कम ज्यादा भूमि सहकाश्तकारों को बंटवाडे में दी गयी है। विभाजन पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान'2001 में दिनांक 30.10.2001 को प्रस्तुत किया गया है तथा उसी दिन तहसीलदार सायला द्वारा तस्दीक कर अमल दरामन आदेश दिया गया।

विभाजन में ऐसी कोई विधिक कमी नहीं बतायी गयी है कि विभाजन आदेश को खारिज किया जा सके। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार सायला के आदेश दिनांक 30.10.2001 (क्रमांकःप्र.गा.सं./2001/स्पे.6) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 18.2.2020को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर